र भीण्डर

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मेट्रिक्स वेनिटो जरिये श्री जगदीश बनाम विपक्षी श्री उदा
किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम पत्रावली संख्या : 52/24

कार्यवाही विवरण

प्रार्थी/प्रतिवादी/गवाह/अभि./पालना/आदेश/दिनांक

दिनांक 27.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 5 की तरफ से मूल वाद में वकालत पत्र अधिवक्ता श्री नारायण लाल जाट द्वारा पेश किया गया। शामिल फाईल रहे। विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब नहीं दिया गया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खाते में दर्ज है मौके पर उक्त भूमि का प्रार्थी व विपक्षीगणो ने हिस्से कब्जे अनुसार अलग अलग काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है किन्तु राजस्व रेकर्ड में भूमि का विभाजन नहीं होने से विपक्षीगण प्रार्थी के साथ विवाद करने पर आमादा रहते है व प्रार्थी को भूमि से बेदखल करने, विशेष हिस्से का रहन, हस्तान्तरण करने पर आमादा है जिससे प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 5 की तरफ से जवाब पेश किया गया जिसमे बताया कि हाल आराजी न. 211, 212 किता 2 रकबा 0.4400 है तथा हाल आराजी न. 209 का 211, 212 से सटा हुआ भाग करीब 0.3800 है कुल ही 211, 212 का 0.4400 है एवं इसे सटा हुआ 209 है जिसका इन खसरा न. से सटा हुआ भाग 0.3800 है कुल 0.8000 है है जो जवाब प्रस्तुतकर्ता के उपयोग उपभोग में 60 वर्षो से अधिक समय से है। खसरा न. 209 के शेष भाग पर जवाब प्रस्तुतकर्ता के गोरूरा भेरा जी के भाईयों का कब्जा उपयोग उपभोग था लेकिन कागजों में हिस्सा संयुक्त दर्ज होने से उन्होंने कागजों के हिस्से के अनुसार उनसे विक्रय पत्र प्रार्थी पक्ष ने बनवा लिये और बिना कब्जे की जांच किये कराये राजस्व कर्मचारियों से मिल कर नामान्तरणकरण भी कागजों के अनुसार कर दिया। विपक्षीगण द्वारा बंटवाडा किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होना बता कर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मुल वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। प्रार्थी खातेदार होने से मुल वाद, बंटवाडा व अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि सामलाति होने व कानूनी रूप से बंटवाडा नहीं होने से प्रार्थी द्वारा कथन कहा की विपक्षीगण प्रार्थी को बेदखल करने व विशेष हिस्से को हस्तान्तरित करने पर आमादा हैं जिससे विपक्षीगण को पावन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा भी बंटवाडा किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई हैं। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होना बताया। इस तथ्य को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जाना उचित होगा यहा हमे पत्रावली को निर्णित करने के लिये तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणनीय क्षति के बिन्दु ही निर्धारित करने हैं। प्रार्थी खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने सुविधा संतुलन व अपूरणनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को पावन्द किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा पीपल[illegible] भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लुणदा तहसील कानोड, जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत 207[illegible] परिशिष्ट (क) खाता संख्या नया 112 की आराजी नंबर 209 कुल किता 1 रकबा [illegible] संख्या नया 113 की आराजी नंबर 211, 212 कुल किता 2 र[illegible]0 है. भूमि[illegible] विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति [illegible] होकर [illegible]से कम हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:37:03 IST
Reason: SelfAttested